राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

पंजीकृत डाक/फैक्स द्वारा

राआबैंक(नदि)/डीआरएस/विवधि परिपत्र सं. 7/2012

03 जनवरी, 2011

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदय,

विषय- आवास वित्त कंपनियों में शिकायत निवारण प्रणाली

आवास वि.कं. हेतु रा.आ.बैंक द्वारा 11 अक्तूबर, 2011 को परिचालित उचित आचार संहिता पर दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि प्रत्येक आवास वित्त कंपनी अपने प्रत्येक कार्यालय में एक शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था करेगी, उसे विज्ञापित करेगी तथा उसे अपनी वेब साइट पर भी उपलब्ध करायेगी। आवास वित्त कंपनियों यह सुनिश्चित करें कि सभी शिकायतें सुनी जाएं तथा समयबद्ध तरीके से उनका निपटान किया जाये। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

हम आपको यह भी अवगत कराते हैं कि अपने सभी कार्यालयों/शाखाओं और वेबसाइट पर स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करें कि यदि उचित समय के भीतर शिकायतकर्ता को कंपनी की तरफ से जवाब नहीं मिलता है या शिकायतकर्ता उस जवाब से संतुष्ट नही है तो वह रा.आ.बैंक के निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकता है:-

राष्ट्रीय आवास बैंक,
विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग,
(शिकायत निवारण कक्ष)
4वीं मंजिल, कोर-5ए,
इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड
नई दिल्ली- 110003

शिकायतकर्ता **crcell@nhb.org.in** पर ई-मेल भी कर सकता है।

कृपया परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय

क्षेत्रीय प्रबंधक
विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग